न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 16/2020
(जीसीएमएस संख्या 2020/00031)

निर्णय दिनांकः– 16-2-26

1. मुरारदान पुत्र हेमदान जाति चारण निवासी 3 आरएम रावत माईनर तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 22–03–1988
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री पदमसिंह, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 22–03–1988 जिसके द्वारा अपीलांट को भूमिहीन आवंटन हेतु अपात्र माना गया है के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट ने सन 1988 में सिलिंग सरप्लस में भूमि आवंटन के तहत भूमि आवंटन के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

लिये सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का भूमिहीन आवंटन पत्र अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस सूचना दिये दिनांक 22.03.1988 को भूमि आवंटन हेतु अपात्र घोषित कर दिया जो सरासर कानून विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का कोई मौका ही नहीं दिया तमाम कार्यवाही अपीलान्ट की पूर्णतः गैर हाजिरी में सरासर एक पक्षीय तौर पर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के भूमिहीन आवंटन आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेज सबूतो पर गौर किये बगैर ही आदेश पारित किया हैं। अपीलान्ट बार–बार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने भूमिहीन आवंटन आवेदक के सम्बन्ध में पुछताछ करता रहा मगर हर बार उसे बताया गया कि उसकी पत्रावली पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं है व तुम्हे नोटिस दिया जाकर पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस का इन्तजार कर रहा है। इस दौरान ना तो अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय का कोई नोटिस प्राप्त हुआ ना तो अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने कोई नोटिस दिया है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट द्वारा सद्भावी कृषक का प्रमाण पत्र पेश नहीं करने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। आरआरटी 2014–15 (सप) पेज 455 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट/प्रार्थी मूरारदान पुत्र हेमदान द्वारा भूमिहीन श्रेणी सिलिंग में भूमि आवंटन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात अपीलांट की पत्रावली दिनांक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

22–03–1988 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हुई जिसमें यह उल्लेखित किया गया कि प्रार्थी का भुमिहीन परिचय कम प्रमाण पत्र तहसील कोलायत से तस्दीक होकर प्राप्त हो चुका है। परिचय पत्र के आधार पर प्रार्थी/अपीलांट की आय का श्रोत खेती नही होकर अन्य है। इसलिए अपीलांट स्थाई रूप से भूमि आवंटन करवाने का पात्र नही है। इसलिए अपीलांट/प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जाता है।

इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलांट का भूमि आवंटन के लिए भूमिहीन काश्तकार का प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थी के पिता के नाम चक 3 आर.एम. के मुरब्बा नम्बर 151/14 में 25 बीघा भूमि होने बाबत अंकित किया है। तथा प्रार्थी के हिस्से में 3 बीघा कमाण्ड भूमि आती है। उक्त प्रमाण पत्र में यह भी अंकित है कि प्रार्थी 3 आरएम में रहता है व मजदूरी करता है।

अपीलांट द्वारा अपील में भी मुख्य कथन यह अंकित किया है कि अपीलांट/प्रार्थी को सुने बिना एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई नोटिस अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही है जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थी/अपीलांट को अपने पेशा बाबत दस्तावेज पेश करने के अवसर प्रदान किये गये हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र अपीलांट/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के उदेश्य से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

7. अतः इस स्थिति में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट दो माह के भतीर सद्भाविक कृषक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

8. निर्णय आज दिनांक 16-2-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी